न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव (आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 01/21 (223 आर0 टी0 एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2021/54

उनवान

1. शमीम बेगम वेवा वाहिद अली
2. जाहिद
3. शाहिद — पुत्र वाहिद अली
4. साविर
5. साकिर
6. रेश्मा पुत्री वाहिद अली
7. गुलबेगम वेवा नवाव अली (फौत)
8. सुभान — पुत्र नवाव अली
9. शराफत

जाति मुसलमान नि0 छीतरखॉ का पुरा मौहल्ला गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. मुश्ताक अहमद खॉ — पुत्रान अब्दुल बहाव खॉ
2. अहमद जमा खॉ
3. एजाद पुत्र सत्तार खॉ (फौत)
4. मुन्तयानी — पुत्रीयान सत्तार खॉ
5. शहजादी
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडी जिला धौलपुर।

जाति मुसलमान निवासी मौहल्ला गुमट बाडी तहसील बाडी जिला धौलपुर।

..... रैस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध निर्णय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी दिनांक 19.11.2020 प्र0स0 24/19 उनवान शमीम बेगम बनाम मुस्ताक अहमद खॉ।

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री विज्जोलाल शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री राजेन्द्र सिंह राणा उपस्थित।

निर्णय दिनांक :– 27.08.2024

1. यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के निर्णय दिनांक 19.11.2020 के विरूद्ध पेश की गई है। अपील के सक्षेंप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलाण्ट द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध प्रतिवादी रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी कुल किता 10 रकवा 26

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

बीघा स्थित कस्बा बाडी नं 01 तहसील बाडी जिला धौलपुर में है, विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार गफ्फार खॉ पुत्र सराफू जाति मुसलमान निवासी बाडी था जिनकी मृत्यु निःसन्तान व निर्वसीयत हो चुकी है। वादी अपीलाण्ट मृतक गफ्फार खॉ के सबसे नजदीकी वारिस हैं एवं मृतक गफ्फार खॉ अपने जीवनकाल में वादी अपीलाण्ट के पास ही रहे। मृतक गफ्फार खॉ ने प्रतिवादीगण रैस्पो0 से अपने जीवनकाल में कभी कोई सम्पर्क नहीं रखा एवं ना ही उनका मृतक गफ्फार से कोई पारिवारिक संबंध ही रहा है। परन्तु प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने राजस्व कर्मचारियो से साज कर राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी बाबत् इंद्राज अपने नाम करा लिये हैं, जो खिलाफ मौका व कानून हैं। उक्त गलत इंद्राजो के आधार पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 विवादित आराजी से वादी अपीलाण्ट के कब्जे काश्त से जबरन बेदखल करने पर उतारू हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण रैस्पो0 के हो रहे गलत इंद्राजो को कलमजन कर वादी अपीलाण्ट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, प्रतिवादीगण रैस्पो0 को तलव किया गया। प्रतिवादीगण रैस्पो0 ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 7 नियम 11 सहपठित धारा 11 एवं 151 सीपीसी प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2020 से स्वीकार किया जाकर वादी अपीलाण्ट का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पो0 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलव किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील मीमो में अंकित कथनो को दोहराते हुये, कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिल निरस्तनीय है। यह है कि अपीलाण्ट के दावे की मद संख्या 9 में वादकरण लिखा हुआ है, दावा सही मूल्याकंन में हैं, न्यायालय शुल्क कम नहीं है। यदि दावा कानून से वार्ड है, तो खारिज हो जायेगा। जबकि अपीलाण्ट का दावा आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में वर्णित किसी भी उपबन्धो/शर्तो की परिधि में नहीं आता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 खारिज करते हुये रैस्पो0 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु आदेशित करना चाहिये था एवं दावा एवं जवाब दावा के आधार पर तनकीयात कायम कर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिये था। रैसज्यूडिकेटा का प्रश्न तथ्य एवं विधि का मिश्रित प्रश्न है। अतः प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 के आधार पर दावा खारिज नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की फरियाद पर ध्यान नहीं दिया। निर्णय में केवल यह लिखा है कि वादीगण अपीलाण्ट की नजीरे लागू नहीं होती हैं, पर क्यों लागू नहीं होती कोई विवेचना नहीं की गयी है एवं प्रतिवादी रैस्पो0 की नजीरे किस प्रकार लागू होती हैं बाबत् भी कोई विवेचना नहीं की गयी है। प्रकरण में साक्ष्य सबूत आने के बाद ही रैसज्यूडिकेटा लागू होता है या नहीं पर निर्णय किया जा सकता है। धारा 151 लागू नहीं होता है एवं ना ही अधीनस्थ न्यायालय न धारा 151 में निर्णय किया है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर डीएनजे 2018 पेज 470, 2019 पेज 01, 2018 पेज 681, 2018(1) पेज 114, आरएलडब्ल्यू 2016(1) पेज 608 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुये, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील अधिकारी
भरतपुर (राज.)

4. रैस्पो0 के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। जिसमें हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। यह है कि अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 06 शमीम बेगम पत्नि वाहिद अली के वारिसान हैं एवं अपीलाण्ट संख्या 07 लगायत 09 नवाब अली के वारिसान हैं एवं वह अपने पिता वाहिद अली व नवाब अली की स्वीकारोक्ति एवं पूर्व में हुये निर्णय से पाबन्द हैं। अधीनस्थ न्यायालय में जो सजरा पूर्वजो का अपीलाण्ट ने पेश किया वह एक काल्पनिक एवं मनगढन्त सजरा बनाकर प्रस्तुत किया है, वह स्वीकार नहीं है। पूर्व वाद में जो सजरा प्रस्तुत हुये हैं, उस सजरे को अपीलाण्ट के पूर्वज भी स्वीकार करते हैं। उक्त सजरे के अनुसार अपीलाण्ट धोंधे/छोटेखॉं के वारिस हैं। जबकि विवादित आराजी मंगल खॉं की पीढी में हुये गफ्फार खॉं की हैं। यदि गफ्फार खॉं ने कोई वसीयत नहीं की होती तो उसका सबसे नजदीकी वारिस सत्तार खॉं बनता, अपीलाण्ट वारिस नहीं बनते। जैसे ही गफ्फार खॉं का निधन हुआ तो सत्तार खॉं अपने आपको गफ्फार खॉं का उत्तराधिकारी कहने लग गया, तब रैस्पो0 ने बताया कि गफ्फार खॉं ने रैस्पो0 को वसीयत कर दी। मुसलिम विधि में पैतृक भूमि नहीं होती है। रैस्पो0 ने एक दावा सत्तार खॉं के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त दावा के अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन रहते अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषो ने प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी से पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जो अधीनस्थ न्यायालय ने खारिज कर दिया। जिस पर अपीलाण्ट के पूर्व पुरूष माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर रिवीजन में गये। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर द्वारा भी उनकी रिवीजन खारिज कर दी एवं कहा यदि कोई अन्य आधार पर कार्यवाही करने को स्वतंत्र हैं। सत्तार खॉं के विरूद्ध उक्त दावा बाद सुनवाई रैस्पो0 के पक्ष में डिक्री हो गया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में हुयी, जो खारिज हो गयी, द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में हुयी वह भी खारिज हो गयी। अतः अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री आदिनांक तक प्रभावी है एवं उक्त डिक्री से रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार बन गये। दूसरा दावा वाहिद अली व नवाव अली ने किया। उसमें भी वही सजरा दिया जिससे हम डिक्रीधारी बने। उक्त दावे में रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 का प्रस्तुत किया, जो स्वीकार हुआ एवं दावा खारिज हुआ। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में हुयी, जो खारिज हुयी। उक्त दावे में वर्तमान अपीलाण्ट बतौर वारिस पक्षकार बन चुके थे तथा अपीलाण्ट ने सजरे को नकारा नहीं। इसी बीच रैस्पो0 के पक्ष में जो वसीयत थी, उसे निरस्त कराने के लिये सिविल न्यायालय में दावा किया, जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी एवं अदम सबूत में खारिज हो गया। जिसकी अपील डीजे कोर्ट में की, उक्त दावे में भी स्वीकारोक्ति वाला सजरा दिया, जो अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया। उक्त दावे को पुनः रिस्टोर कराने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, जो दोनों पक्षो की सुनवाई के बाद खारिज हो गया। अर्थात रैस्पो0 की वसीयत आदिनांक तक प्रभावी है। तीसरा दावा शमीम बेगम वगै0 ने किया। जिसमें सजरा बदल दिया। रैस्पो0 ने फिर से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11, 11 व 151 का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर दावा वादी अपीलाण्ट खारिज कर दिया। उक्त दावा आदेश 7(11) सपठित धारा 151 में खारिज हुआ है। केवल 7(11) ही नहीं धारा 151 भी स्वीकार हुयी है। ऐसा दावा जो आरम्भ से ही फर्जी है, परेशान करने वाला हो तो धारा 151 में दावा न्यायालय स्वयं खारिज कर सकती है। जब वसीयत को चुनौती दी जा चुकी है एवं वसीयत के आधार पर रैस्पो0 विवादित आराजी के खातेदार हो चुके हैं, तो दावे में कोई भी सजरा हो कोई फर्क नहीं पडता। दूसरा सजरा वैसे भी पूर्व में दिये गये सजरे की स्वीकारोक्ति के खिलाफ है। केवल अपीलाण्ट ही नहीं सत्तार खॉं के वारिसान भी अपने दावे को सिद्ध

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

करने में विफल हो गये, तो फिर अपीलाण्ट का विवादित आराजी में क्या स्वत्व रह जाता है। राजस्व रिकार्ड, मौका व कब्जा रैस्पो0 का है। इस प्रकार प्रकरण में रेसज्यूडिकेटा लागू होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हम पाते हैं कि उक्त आराजी बाबत् पूर्व में चले वाद उनवानी मुस्ताक अहमद खॉ बनाम सत्तार खॉ में अपीलाण्ट के पिता वाहिद अली व नवाव अली द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 01 नियम 10 सीपीसी के तहत पक्षकार मुकदमा बनने का प्रस्तुत किया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय से खारिज हो गया, जिसके विरूद्ध अपीलाण्ट के पिता ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर रिवीजन प्रस्तुत की वह भी खारिज हो गयी एवं दावा रैस्पो0 वसीयत के आधार पर दिनांक 23.06.1990 को डिक्री हो गया, जिसकी अपील न्यायालय हाजा में हुयी वह भी खारिज हो गयी। द्वितीय अपील माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर में हुयी, वह भी खारिज हो गयी। पुनः विवादित आराजीयात को लेकर एक ओर दावा अपीलाण्ट के पिता वाहिद अली एवं नवाव अली ने प्रस्तुत किया। जिसमें रैस्पो0 ने प्रार्थना पत्र 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत किया, जो स्वीकार होकर, दावा खारिज कर दिया। जिसकी अपील न्यायालय हाजा में हुयी, जो पुनः खारिज हुयी। इसी बीच रैस्पो0 के पक्ष में हुयी वसीयत को निरस्त कराने की कार्यवाही भी सिविल न्यायालय में की गयी है, वह दावा भी खारिज हो चुका है। इस प्रकार विवादित आराजी को लेकर विभिन्न न्यायालयो से निर्णय अंतिम हो चुके हैं एवं रैस्पो0 को वसीयत के आधार पर विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जा चुका है। वादीगण अपीलाण्ट के पूर्व पुरूषो द्वारा भी विवादित आराजी को लेकर दावा प्रस्तुत किया गया था वह भी दिनांक 31.05.2001 को खारिज हो चुका है एवं अपील भी न्यायालय हाजा से दिनांक 14.06.2005 को खारिज हो चुकी है। उक्त अपील में अपीलाण्ट बतौर पक्षकार मुकदमा भी रहे हैं। परन्तु वादी अपीलाण्ट ने पुनः सजरा बदल कर तीसरा दावा कर दिया। जबकि उन्हें एवं उनके पूर्वजो को पूर्व में हुये दावो में सुना जाकर अंतिम निर्णय हो चुके हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने वादी अपीलाण्ट के वाद को सही प्रकार से तुच्छ एवं परेशान करने वाला माना जाकर खारिज किया गया है। लिहाजा हम अपील अपीलाण्ट में कोई बल नहीं पाते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य समझते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाडी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.11.2020 यथावत रखें जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 27.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास में सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर